[2019] 6 एस. सी. आर. 97

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

वी.

यूनाइटेड टेलिकोम लिमिटेड

(2019 की सिविल अपील संख्या 3972)

अप्रैल 16,2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह, 1996: धारा 12 (5) और इसका परंतुक-परंतुक की प्रयोज्यता-आयोजितः एस के लिए प्रावधान। 12 (5) लागू होता है

केवल तभी जब पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, पक्ष धाराओं की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता को माफ कर देते हैं। 12 लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा-अभिव्यक्ति "में स्पष्ट समझौते"

"लेखन" एक समझौते के विपरीत शब्दों में किए गए एक समझौते को संदर्भित करता है जिसका अनुमान आचरण द्वारा लगाया जाना है।

इस तरह के किसी भी स्पष्ट समझौते का खुलासा नहीं किया गया-इस तथ्य का कि मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर किया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि शब्दों में एक स्पष्ट समझौता था कि दोनों पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होने के बावजूद इस तरह से नियुक्त मध्यस्थ को जारी रखना चाहते थे।

मध्यस्थता और सुलह, 1996: एस. 12 (5)-व्याख्या

मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने की पात्रता-तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रदान किया गया समझौता-तदनुसार, मध्यस्थता खंड के संदर्भ में, मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी-3.7.2017 पर, सर्वोच्च न्यायालय के टी. आर. एफ. निर्णय में कहा गया कि चूंकि एक कंपनी का प्रबंध निदेशक जो मध्यस्थता के पक्षों में से एक था, वह स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य था, इसलिए ऐसा अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता था, और ऐसी कोई भी नियुक्ति अमान्य होगी-टी. आर. एफ. निर्णय को देखते हुए, तत्काल मामले में, स्वयं प्रबंध निदेशक द्वारा चुनौती दी गई मध्यस्थ की नियुक्ति की वैधता-अभिनिर्धारित की गईः तत्काल मामले में, मध्यस्थ की नियुक्ति एस की शुरूआत के बाद की गई थी। 12 (5) कानून की पुस्तक में अपीलार्थी का प्रबंध निदेशक स्वयं एक मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, जिसे सातवीं अनुसूची की मद 5-एस. एस. की योजना के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। 12 , 13 और 14 यह था कि जहां एक मध्यस्थ लिखित रूप में एक प्रकटीकरण करता है जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के रूप में उचित संदेह देने की संभावना है, ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है।

कानून का मामला (यानी, न्यायिक रूप से), एस के तहत अपने कार्यों को करने में असमर्थ। 12 (5) , मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होना-यह ऐसा होने पर, उसका अधिदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है, और फिर उसे एस के तहत किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 14 (1) स्वयं-यदि एक

मध्यस्थ इस तरह से जारी है, क्योंकि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है।

कार्य, क्योंकि वह एस में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में आता है। 12 (5) , सातवीं अनुसूची में, एक पक्ष न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जो तब यह तय करेगा कि उसका जनादेश समाप्त हो गया है या नहीं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 12 (1) यह स्पष्ट करती है कि कब

कोई भी परिस्थितियाँ जो न्यायोचित होने की संभावना पैदा करती हैं उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में संदेह। एक बार ऐसा करने के बाद,

मध्यस्थ की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि धारा 12 की उप-धारा (4) द्वारा दर्ज की गई चेतावनी के अधीन धारा 12 की उप-धारा (3) के तहत न्यायोचित संदेह उत्पन्न हुए हैं। चुनौती प्रक्रिया को तब धारा 13 में एक साथ निर्धारित किया गया है।

यह केवल पुरस्कार के बाद होता है कि पार्टी नियुक्ति को चुनौती देती है एक मध्यस्थ इस तरह के एक अलग रखने के लिए एक आवेदन कर सकते हैं

अधिनियम की धारा 34 के अनुसार पुरस्कार। [पैरा 14]

[113 - ई-एच; 114-ए-बी]

1.2 दूसरी ओर, धारा 12 (5) एक नया प्रावधान है।

जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की न्यायिक अक्षमता से संबंधित है

इस तरह। इस प्रावधान के तहत, इसके विपरीत कोई भी पूर्व समझौता

धारा 12 (5) में गैर-अबाधित खंड द्वारा उस क्षण मिटा दिया जाता है जब कोई व्यक्ति जिसका पक्षों के साथ संबंध या

अधिवक्ता या विवाद का विषय इसके अंतर्गत आता है -

सातवीं अनुसूची। उप-धारा तब घोषणा करती है कि ऐसा भारत ब्रोडबैंड नेटवर्क लिमिटेड v.

यूनाइटेड टेलिकोम लिमिटेड

व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए "अयोग्य" होगा। द.

इस अयोग्यता को हटाने का एकमात्र तरीका परंतुक है, जो फिर से एक विशेष प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि पक्षकार, उनके बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं। जहाँ, पक्षों के बीच किसी भी समझौते के तहत, कोई व्यक्ति सातवें में निर्धारित किसी भी श्रेणी में आता है।

अनुसूची, वह, कानून के मामले के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है। एकमात्र तरीका जिससे यह अयोग्यता हो सकती है

हटा दिया गया, फिर से, कानून में, यह है कि पक्षकार अपने बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, "लिखित में स्पष्ट समझौते" द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं। "लिखित में स्पष्ट समझौते" में एक ऐसे व्यक्ति का संदर्भ है जिसे सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित किया गया है, लेकिन जिसे पक्षों द्वारा (विवादों के बाद) कहा गया है। उनके बीच उत्पन्न हुए हैं) एक ऐसा व्यक्ति होने के लिए जिसमें वे विश्वास रखते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा व्यक्ति सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित है। [पैरा 15] [114-बी-एफ]

2.1 विधि आयोग की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता के कुछ न्यूनतम स्तर हैं जो मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए आवश्यक होने चाहिए, चाहे पक्षकारों की सहमति कुछ भी हो। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान केवल कुछ असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जो ऐसी परिस्थितियाँ हों जो पारिवारिक मध्यस्थता या अन्य मध्यस्थताओं में उत्पन्न होती हैं जहाँ एक व्यक्ति व्यक्तिपरक रूप से अंधे विश्वास और विश्वास का आदेश देता है

उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में वस्तुनिष्ठ न्यायोचित संदेहों के अस्तित्व के बावजूद, विवाद के पक्षकार। अतः धारा 12,13 और 14 की योजना यह है कि जहां कोई मध्यस्थ लिखित रूप में ऐसा खुलासा करता है जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह होने की संभावना है, ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति को धाराओं के तहत चुनौती दी जा सकती है।

12 (1) धारा 13 के साथ पठित 12 (4) तक। हालाँकि, जहाँ ऐसा व्यक्ति

एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए "अयोग्य" हो जाता है, ऐसे मध्यस्थ के सामने ऐसे मध्यस्थ को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है।

ऐसे मामले में, यानी अधिनियम की धारा 12 (5), धारा 14 (1) (ए) के तहत आने वाला मामला इस हद तक आकर्षित हो जाता है कि मध्यस्थ, कानून के मामले के रूप में (यानी, न्यायिक रूप से), धारा 12 (5) के तहत अपने कार्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वह नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।

एक मध्यस्थ के रूप में। ऐसा होने के कारण, उनका जनादेश स्वचालित रूप से [2019] 6 एस. सी. आर.

वह समाप्त हो जाता है, और फिर उसे धारा 14 (1) के तहत ही किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह केवल तभी होता है जब इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या वह अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है, कि किसी पक्ष को जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। इस प्रकार, सभी धारा 12 (5) मामलों में, कोई चुनौती प्रक्रिया का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यदि कोई मध्यस्थ इस तरह जारी रहता है,

न्यायिक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ होने के कारण, क्योंकि वह सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में आता है, एक पक्ष न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जो तब यह तय करेगा कि उसका जनादेश समाप्त हो गया है या नहीं।

[पारस 16,17] [114-एफ-जी; 116-ए-जी]

2.2 तत्काल मामले में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का प्रबंध निदेशक स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता था। सातवीं अनुसूची की मद 5 के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना। क्या ऐसा अयोग्य व्यक्ति स्वयं कर सकता है

एक अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति केवल टी. आर. एफ. लिमिटेड में 03.07.2017 पर इस न्यायालय के फैसले से स्पष्ट की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अयोग्य व्यक्ति द्वारा की गई नियुक्ति स्वयं शुरुआत से ही अमान्य है। इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि विवाद उत्पन्न हुए

23.10.2015 पर क़ानून की पुस्तक में धारा 12 (5) को शामिल करने के बाद ही मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी

23.10.2015 . टी. आर. एफ. लिमिटेड के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह केवल संभावित रूप से लागू होगा। संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 यह स्पष्ट करती है कि संशोधन अधिनियम, 2015 उस दिन या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा।

23.10.2015 . ए. पी. ओ. स्वयं वर्ष 2014 का है, जबकि प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्ति टी. आर. एफ. लिमिटेड की तरह ही संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद की जाती है। यह देखते हुए कि इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की टी. आर. एफ. लिमिटेड के मामले में नियुक्ति को गैर-कानूनी होने के रूप में अलग कर दिया गया था, वर्तमान मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुसरण करना चाहिए। [पैरा 18] [116-एच; 117-बी-जी]

3. इस मामले के तथ्यों पर धारा 12 (5) के परंतुक की प्रयोज्यता।

अधिनियम की धारा 4 के विपरीत, जो आचरण द्वारा आपत्ति करने के अधिकार की मानित छूट से संबंधित है, धारा 12 (5) का परंतुक केवल तभी लागू होगा जब भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बीच विवाद उत्पन्न हुए हों।

यूनाइटेड टेलिकोम लिमिटेड

पक्षकार, पक्षकार लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता को माफ कर देते हैं। इस कारण से, अधिनियम की धारा 7 के सादृश्य पर आधारित तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए। धारा 7 मध्यस्थता समझौतों से संबंधित है जो लिखित रूप में होने चाहिए, और फिर बताती है कि ऐसे समझौते दस्तावेजों में निहित हो सकते हैं जो ऐसे समझौतों का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। समझौते। दूसरी ओर, धारा 12 (5) "लिखित में स्पष्ट समझौते" को संदर्भित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि लिखित रूप में एक "स्पष्ट" समझौता हो। यह समझौता एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिसके द्वारा दोनों पक्ष, इस तथ्य की पूरी जानकारी के साथ कि श्री खान मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा विश्वास और विश्वास है। तत्काल मामले के तथ्य इस तरह के किसी स्पष्ट समझौते का खुलासा नहीं करते हैं। नियुक्ति पत्र जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों पर एक स्पष्ट समझौते का संकेत देने के रूप में भरोसा किया जाता है, दिनांकित 17.01.2017 है। इस तिथि पर, अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री खान को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) केवल सातवीं अनुसूची की अयोग्यता के लिए जाती है।

स्वयं प्रबंध निदेशक की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति। श्री खान की अवैध नियुक्ति केवल टी. आर. एफ. लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा के बाद स्पष्ट हुई, जो केवल 03.07.2017 पर थी। इस तिथि के बाद, श्री की वैधता के बारे में पक्षों के बीच एक स्पष्ट समझौता होने के बावजूद

खान की नियुक्ति, अपीलार्थी ने एक आवेदन दायर किया

07.10.2017 एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष, टी. आर. एफ. लिमिटेड में निर्णय की ओर मध्यस्थ का ध्यान आकर्षित करना और उसे यह घोषित करने के लिए कहना कि वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में न्यायिक रूप से असमर्थ हो गया है। आक्षेपित निर्णय सही नहीं है जब यह धारा 4 को लागू करता है,

तत्काल मामले के तथ्यों के लिए अधिनियम की धारा 7, धारा 12 (4), धारा 13 (2) और धारा 16 (2) में कहा गया है कि

अपीलार्थी को मध्यस्थ की पात्रता का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने स्वयं मध्यस्थ नियुक्त किया हो। [पैरा 20] [118-बी-एच; 119-ए-सी]

टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (2017) 8 एस. सी. सी. 377 [2017] 7 एस. सी. आर. 409; वोएस्टाल्पाइन शियनन

जीएमबीएच वी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (2017) 4 एस. सी. सी. 665 एच. आर. डी. निगम बनाम। गेल (इंडिया) लिमिटेड (2018) 12 एस. सी. सी. 471: [2017] 11 एस. सी. आर. 857-पर निर्भर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अखिल भारतीय पावर इंजीनियर फेडरेशन बनाम। सासान पावर

लिमिटेड (2017) 1 एससीसी 487 [2016] 9 एससीआर 901; वासु पी।

शेट्टी बनाम। होटल वंदना पैलेस (2014) 5 एससीसी 660: [2014] 9 एससीआर 38; बीएसएनएल बनाम। मोटोरोला इंडिया (पी) लिमिटेड

(2009) 2 एससीसी 337: [2008] 13 एससीआर 445 आयोजित

अप्रयोज्य।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 7 एससीआर 409

उस पर भरोसा करें

पै
रा 5

(2017) 4 एस. सी. सी. 665

उस पर भरोसा करें

पै
रा 11

[2017] 11 एससीआर 857

उस पर भरोसा करें

पै
रा 12

[2016] 9 एससीआर 901

अप्रयोज्य रखा गया

पै
रा 21

[2014] 9 एससीआर 38

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 21

[2008] 13 एससीआर 445

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3972

2019 से।

उच्च न्यायालय के 22.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के आवेदन ओ. एम. पी. (टी) (कम) 84 में दिल्ली, नई दिल्ली का न्यायालय।

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 3973।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, चंदन कुमार, अनिरुद्ध पी. मयी,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पवन उपाध्याय, एस. एस. शास्त्री, सर्वजीत

प्रताप सिंह, सुश्री अनीशा उपाध्याय, निशांत के. , यू. एन. यू. सी. कानूनी एल. एल. पी., सी. एम. पटेल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपीलें एक दिलचस्प सवाल उठाती हैं कि

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["अधिनियम"] की धारा 12 (5) की व्याख्या।

3. अपीलार्थी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ["बीबीएनएल"],

हरत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड v. ने एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए दिनांक 05.08.2013 पर एक निविदा जारी की थी।

यूनाइटेड टेलीकोम्स लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जी. पी. ओ. एन. की स्थापना, चालू करना और रखरखाव सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा उपकरण। उत्तरदाता सफल डीडर था। अपीलार्थी ने एक अग्रिम खरीद आदेश ["एपीओ"] 30.09.2014 जारी किया। खंड III। सामान्य (वाणिज्यिक) शर्तों ["जी. सी. सी".] की धारा 20.1 में मध्यस्थता का प्रावधान है। उक्त खंड इस प्रकार है -

:

" III.20 आर्बिट्रेशन

III. 20. 1 समझौते के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (उन मामलों को छोड़कर, जिनके लिए इस समझौते के तहत विशेष रूप से निर्णय दिया गया है), इसे सी. एम. डी., बी. बी. एन. एल. के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा या यदि उसका पदनाम बदल दिया जाता है या उसका पद समाप्त कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में सी. एम. डी., बी. बी. एन. एल. के कार्यों के साथ उस समय के लिए अधिकारी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए (चाहे वह अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा हो या अन्यथा) सौंपा जाएगा।

या किसी भी पदनाम से ऐसे अधिकारी को बुलाया जा सकता है।

(इसके बाद उक्त अधिकारी के रूप में संदर्भित), और यदि सी. एम. डी. या उक्त अधिकारी इस तरह से कार्य करने में असमर्थ या इच्छुक है, तो सी. एम. डी. या द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए

अधिकारी ने कहा। मध्यस्थ की नियुक्ति का समझौता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार होगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है या उसे उस मामले से निपटना है जिससे समझौता संबंधित है या एक सरकारी कर्मचारी/पीएसयू कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने व्यक्त किया है। विवादग्रस्त सभी या किसी भी मामले पर उनके विचार। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और समझौते के दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे मध्यस्थ की स्थिति में जिसे मामला मूल रूप से भेजा गया है, उसका कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है या खाली किया जा रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, सी. एम. डी., बी. बी. एन. एल. या उक्त अधिकारी समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

नियुक्त व्यक्ति उस स्तर से आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर उसे उसके पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ दिया गया था।

4. चूंकि पक्षों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, इसलिए एन. डी. ए. टी. ने अपने दिनांकित पत्र 03.01.2017 द्वारा उपरोक्त मध्यस्थता ई. का आह्वान किया और अपीलार्थी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक [2019] 6 एस. सी. आर. से अपील की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 30.09.2014 के उपरोक्त ए. पी. ओ. से उत्पन्न विवादों के निर्णय के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करना। दिनांक 1 के एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने जी. सी. सी. में निहित मध्यस्थता खंड के संदर्भ में, पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों का निर्णय लेने और उनका निर्धारण करने के लिए एक श्री के. एच. खान को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पक्षकारों को उपरोक्त एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष दावे और जवाबी दावे दायर करने की स्वतंत्रता होगी। 5. 03.07.2017 पर, यह न्यायालय, टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम में अपने निर्णय द्वारा। एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377 ["टी. आर. एफ. लिमिटेड".] ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक जो मध्यस्थता के पक्षकारों में से एक था, स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य था, इसलिए ऐसा अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता था, और ऐसी किसी भी नियुक्ति को अमान्य माना जाना चाहिए।

6. उपरोक्त निर्णय को देखते हुए, अपीलार्थी ने स्वयं उपरोक्त एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है, उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया है, और कहा है कि कानून की घोषणा होने के कारण, निर्णय से पहले की गई मध्यस्थों की नियुक्तियों को सहेजा नहीं जाता है। इस प्रकार, एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष प्रार्थना यह थी कि चूंकि वह न्यायिक रूप से मध्यस्थ के रूप में अपना कार्य करने में असमर्थ है, इसलिए उसे कार्यवाही से हट जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को उसके स्थान पर एक वैकल्पिक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति मिल सके। दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, श्री खान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिना कोई कारण बताए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके कारण अपीलार्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थ न्यायिक रूप से इस तरह से कार्य करने में असमर्थ हो गया है और उसके स्थान पर एक वैकल्पिक मध्यस्थ नियुक्त किया जाए। अभिभूतों द्वारा

इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि जिस व्यक्ति ने मध्यस्थ की नियुक्ति की है, उसे यह याचिका दायर करने से रोक दिया गया है कि इस तरह के मध्यस्थ को मध्यस्थता में भाग लेने के बाद नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कार्यवाही। किसी भी स्थिति में, अधिनियम की धारा 12 (5) के प्रावधान के तहत, क्योंकि अपीलार्थी ने स्वयं श्री खान को नियुक्त किया है, और प्रत्यर्थी ने बिना किसी आरक्षण के दावे का बयान दायर किया है, लिखित रूप में भी, यह लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते के बराबर होगा, जो इसलिए, अधिनियम की धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ करने के बराबर होगा।

7. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी ने अधिनियम की धारा 12 से 14 के साथ-साथ टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) के फैसले पर भी भरोसा किया है और तर्क दिया है कि श्री खान की नियुक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने की पात्रता पर जाती है, जिसके परिणामस्वरूप की गई नियुक्ति शुरू से ही अमान्य है। इसके अलावा, टी. आर. एफ. लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय कानून का घोषणात्मक है और इस मामले के तथ्यों पर लागू होगा। इसके अलावा, क्योंकि कोई एक्सप्रेस नहीं है

श्री खान की नियुक्ति पर सहमति होने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद लिखित समझौता,

वर्तमान मामले में परन्तुक लागू नहीं होगा।

8. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद यादव ने विवादित फैसले के तर्क का समर्थन किया है और कहा है कि धारा 12 (4) यह स्पष्ट करती है कि एक पक्ष चुनौती दे सकता है।

उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति केवल उन्हीं कारणों से की जाती है जिनके बारे में नियुक्ति के बाद उसे पता चलता है। तथ्यों में

वर्तमान मामला, चूंकि धारा 12 (5) और सातवीं अनुसूची 23.10.2015 के बाद से क़ानून पुस्तिका में थी, इसलिए अपीलार्थी को पूरी तरह से पता था कि अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक को सातवीं अनुसूची की वस्तु 5 द्वारा प्रभावित किया जाएगा, और परिणामस्वरूप, उसके द्वारा की गई कोई भी नियुक्ति अमान्य होगी। ऐसा होने पर, धारा 12 (4) अपीलार्थी द्वारा धारा 14 और 15 के तहत दायर याचिका के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, धारा 13 (2) यह स्पष्ट करती है कि एक पक्ष जो मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का इरादा रखता है, वह धारा 12 (3) में निर्दिष्ट परिस्थितियों से अवगत होने के 15 दिनों के भीतर, मध्यस्थ को चुनौती देने के कारणों का एक लिखित बयान भेजेगा। मान लीजिए, यह उक्त धारा द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा दायर उपरोक्त याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। धारा 12 (5) के प्रावधान पर आते हुए, श्री यादव ने तर्क दिया कि धारा 12 (5) के प्रावधान में "लिखित रूप में स्पष्ट समझौता" वर्तमान मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से पूरा होता है। यह पक्षकारों के बीच एक औपचारिक समझौते के रूप में होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे अपीलार्थी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के साथ-साथ मध्यस्थ के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर दावे के बयान से निकाला जा सकता है, जिससे धारा 12 (5) की प्रयोज्यता से छूट मिल सकती है।

9. 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, महत्वपूर्ण

अधिनियम में परिवर्तन किए गए। जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, धारा 11 की उप-धारा (8) को पूर्ववर्ती [2019] 6 एस. सी. आर. के स्थान पर रखा गया था।

धारा 12 की धारा 11 (8) 1, उप-धारा (1) को पुरानी धारा 12 (1) 2 के स्थान पर रखा गया था और धारा (4) के बाद एक नई धारा 12 (5) 3 जोड़ी गई थी। धारा 14 (1) 4 की प्रारंभिक रेखाओं को भी प्रतिस्थापित किया गया था।10. संशोधन के बाद, उपरोक्त धाराओं को निर्धारित किया गया है, साथ ही अधिनियम की धारा 4 भी इस प्रकार हैः

" 4. आपत्ति करने के अधिकार की छूट। — एक पार्टी जो जानती है कि

((क) इस भाग का कोई प्रावधान जिससे पक्षकार

अवमूल्यन, या

(ख) मध्यस्थता समझौते के तहत कोई भी आवश्यकता,

अनुपालन नहीं किया गया है और फिर भी अनुचित देरी के बिना इस तरह के गैर-अनुपालन पर अपनी आपत्ति बताए बिना मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ता है या, यदि उस आपत्ति को बताने के लिए एक समय सीमा प्रदान की जाती है, तो उस अवधि के भीतर, ऐसा माना जाएगा कि उसने इस तरह से आपत्ति करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है।

" 11. मध्यस्थों की नियुक्ति।

XXX XXX XXX

(8) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, नियुक्ति से पहले

उब्स। 2016 के अधिनियम 3, धारा 6 (iv) (w.r.e.f) द्वारा। 23.10.2015)। प्रतिस्थापन से पहले, धारा (8) को इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 11. मध्यस्थों की नियुक्ति।

(8) मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, नियुक्ति में

एक मध्यस्थ, का उचित सम्मान होगा

(ए) मध्यस्थ के समझौते द्वारा आवश्यक कोई भी योग्यता

पक्षकार; और

(बी) अन्य विचार जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं।

उप. 2016 के अधिनियम 3, धारा 8 (i) (w.r.e.f) द्वारा। 23.10.2015)। प्रतिस्थापन से पहले, धारा (1) को इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 12. चुनौती के लिए आधार। - (1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने वाली किसी भी परिस्थिति का लिखित रूप में खुलासा करेगा।

एनएस। 2016 के अधिनियम 3, धारा 8 (ii) (w.r.e.f) द्वारा। 23.10.2015)। उब्स। 2016 के अधिनियम 3, धारा 9 (w.r.e.f) द्वारा। 23.10.2015)। प्रतिस्थापन से पहले, धारा 14 (1) इस प्रकार हैः

" 14. कार्य करने में विफलता या असंभवता। (1) एक मध्यस्थ का आदेश होगा समाप्त करें यदि-"

एक मध्यस्थ, धारा 12 की उप-धारा (1) के संदर्भ में संभावित मध्यस्थ से लिखित रूप में प्रकटीकरण की मांग करेगा और

(क) मध्यस्थ के लिए आवश्यक कोई भी योग्यता

पक्षकारों का समझौता; और

(बी) प्रकटीकरण की सामग्री और अन्य विचार जो एक स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं और

निष्पक्ष मध्यस्थ।

XXX XXX XXX

" 12. चुनौती के लिए आधार। (1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में लिखित रूप में खुलासा करेगा,

(क) जैसे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पक्ष के साथ या किसी भी विवादग्रस्त विषय के संबंध में, चाहे वह वित्तीय, व्यवसाय, व्यावसायिक या अन्य प्रकार का हो, किसी भी पिछले या वर्तमान संबंध या हित का अस्तित्व, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने की संभावना है; और

(ख) जो मध्यस्थता के लिए पर्याप्त समय देने की उसकी क्षमता और विशेष रूप से बारह महीने की अवधि के भीतर संपूर्ण मध्यस्थता को पूरा करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करने की संभावना है।

स्पष्टीकरण 1. पाँचवीं अनुसूची में बताए गए आधार यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करती हैं।

स्पष्टीकरण 2. प्रकटीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा छठी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाएगा।

(2) एक मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति के समय से और मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, बिना किसी देरी के, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति का पक्षकारों को लिखित रूप में खुलासा करेगा, जब तक कि उनके द्वारा उन्हें पहले ही सूचित नहीं किया गया हो।

(3) एक मध्यस्थ को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब

(क) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या

((ख) उसके पास वे योग्यताएँ नहीं हैं जिन पर उसने सहमति व्यक्त की हो।

पार्टियाँ।

(5) इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध, पक्षों या वकील या विवाद के विषय के साथ, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगाः बशर्ते कि पक्षकार, अपने बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।

" 13. चुनौती प्रक्रिया। (1) उप-धारा (4) के अधीन रहते हुए, पक्षकार किसी मुद्दे को चुनौती देने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

मध्यस्थ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, एक पक्ष जो एक मध्यस्थ को चुनौती देने का इरादा रखता है, पंद्रह दिनों के भीतर

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बारे में जागरूक होने के बाद या उप में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति के बारे में जागरूक होने के बाद

धारा 12 की धारा (3), मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चुनौती देने के कारणों का एक लिखित विवरण भेजती है।

(3) जब तक कि मध्यस्थ को उप-धारा (2) के तहत चुनौती नहीं दी गई हो

(6) जहां उप-धारा (5) के तहत किए गए आवेदन पर मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाता है, वहां न्यायालय यह तय कर सकता है कि जिस मध्यस्थ को चुनौती दी गई है वह किसी भी शुल्क का हकदार है या नहीं। " 14. कार्य करने में विफलता या असंभवता। — (1) एक मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा और उसे किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यदि हरत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड v.

(क) वह न्यायिक रूप से या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है;

और

(ख) वह अपने पद से हट जाता है या पक्षकार इस पर सहमत हो जाते हैं - उनके कार्यकाल की समाप्ति।

उप-धारा (1) के खंड (ए) में, एक पक्षकार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। आदेश का।

(3) यदि इस धारा या धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत कोई मध्यस्थ अपने पद से हट जाता है या कोई पक्ष इस पर सहमत होता है -

एक मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति, इसका मतलब यह नहीं होगा

इस धारा में निर्दिष्ट किसी भी आधार की वैधता की स्वीकृति

या धारा 12 की उप-धारा (3)।

11. धारा 12 (5) पर पहले तीन सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की गई है।

टी निर्णय। वोएस्टाल्पाइन में शियेनन जीएमबीएच वी। दिल्ली मेट्रो

निगम लिमिटेड, (2017) 4 एस. सी. सी. 665, इस न्यायालय ने

उपरोक्त विधि आयोग की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों और धारा 12 में किए गए संशोधन से पहले कानून को विस्तृत रूप से संदर्भित किया गया और कहा गयाः

" 23. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सातवीं अनुसूची आई. बी. ए. के दिशानिर्देशों पर आधारित है जिन्हें स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय आधारित प्रथाओं का प्रतिनिधित्व माना जाता है और जो कानूनों, मामलों पर आधारित हैं। अधिकारिता पर एक क्रॉस-सेक्शन से कानून और न्यायिक राय। यह है।

दिशानिर्देशों में ही इसका उल्लेख किया गया है "।

XXX XXX XXX " 25. धारा 12 को मध्यस्थों की तटस्थता को प्रेरित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता। संशोधित प्रावधान उन "परिस्थितियों" की पहचान करने के लिए अधिनियमित किया गया है जो स्वतंत्रता के बारे में "उचित संदेह" को जन्म देती हैं या

मध्यस्थ की निष्पक्षता। यदि उन परिस्थितियों में से कोई भी इसमें उल्लिखित मौजूद है, यह पूर्वाग्रह की न्यायोचित आशंका को जन्म देगा। अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची आधारों की गणना करती है।

जो इस प्रकार के न्यायोचित संदेहों को जन्म दे सकते हैं। इसी तरह, सातवीं अनुसूची उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जो धारा 12 की उप-धारा (5) के प्रावधानों को आकर्षित करेंगी और [2019] 6 एस. सी. आर. को रद्द कर देंगी।

इसके विपरीत कोई पूर्व समझौता। इस मामले के संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केवल यदि कोई मध्यस्थ एक कर्मचारी है,

एक पक्ष के साथ संबंध, वह एक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है मध्यस्थ। इसी तरह, उस व्यक्ति को अक्षम माना जाता है

मध्यस्थ की भूमिका निभाना, जो एक प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधन का हिस्सा है या एक में एकल नियंत्रण प्रभाव रखता है

पक्षकारों में से किसी एक का सहबद्ध यदि सहबद्ध मध्यस्थता में विवाद के मामलों में सीधे शामिल है। इसी तरह, ऐसे लोग जो नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि नियुक्त करने वाले दल या नियुक्त करने वाले दल के सहयोगी अक्षम हैं। एक व्यापक सूची में गणना की गई है

अनुसूची 5 और अनुसूची 7 और निश्चित रूप से प्रत्यर्थी द्वारा सूचीबद्ध व्यक्ति उक्त सूची में से किसी भी मद में शामिल नहीं हैं।

12. एच. आर. डी. निगम बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड, (2018) 12 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12 और धारा 12, धारा 12, धारा 12,

प्रकट किए गए, जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेहों को जन्म देते हैं, स्वतंत्रता या निष्पक्षता के रूप में ऐसे संदेहों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विशेष चुनौती के तथ्यों में तथ्य के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए।

यूनाइटेड टेलीकोम्स लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

13. यदि कोई चुनौती सफल नहीं होती है, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय लेता है कि स्वतंत्रता के बारे में कोई उचित संदेह नहीं हैं या

मध्यस्थ/मध्यस्थों की निष्पक्षता, न्यायाधिकरण को तब धारा 13 (4) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखनी चाहिए और एक निर्णय देना चाहिए। ऐसा अधिनिर्णय दिए जाने के बाद ही पांचवीं अनुसूची में निहित आधारों पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने वाला पक्ष उपरोक्त धारा 34 के अनुसार मध्यस्थता अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

आधार। अतः यह स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति दोआबिया की नियुक्ति के विरुद्ध पाँचवीं अनुसूची में निहित कोई भी चुनौती और

न्यायमूर्ति लाहोटी को इस स्तर पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें हटा दिया जाएगा

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ही। इसलिए, हम पाँचवीं अनुसूची में निहित मदों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

जिसके तहत अपीलार्थी किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दे सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ही वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ”

XXX XXX XXX

" 14. पाँचवीं और सातवीं अनुसूची में दिए गए आधारों की गणना विशेष रूप से आई. बी. ए. दिशानिर्देशों से ली गई है।

उसकी लाल और नारंगी सूचियों से। उपरोक्त दिशानिर्देशों में तीन सूचियाँ शामिल हैं। लाल सूची, जिसमें गैर-छूट योग्य और छूट योग्य दिशानिर्देश शामिल हैं, उन स्थितियों को शामिल करती है जो "अधिक गंभीर" और "गंभीर" हैं, "अधिक गंभीर" आपत्तियां गैर-छूट वाली हैं।

ऐसी स्थितियों का खुलासा करना कर्तव्य है। हरित सूची उन स्थितियों की एक सूची है जहां एक वस्तुनिष्ठ बिंदु से हितों का कोई वास्तविक टकराव मौजूद नहीं है। दृष्टिकोण, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थ का प्रकटीकरण का कोई कर्तव्य नहीं है। ये दिशानिर्देश पहली बार वर्ष 2004 में पेश किए गए थे और इसके बाद दुनिया भर में मध्यस्थता के अनुभव को देखने के बाद इनमें संशोधन किया गया है। इसके भाग 1 में, सामान्य मानकों के बारे में

निष्पक्षता, स्वतंत्रता और प्रकटीकरण निर्धारित किए गए हैं।

XXX XXX XXX

" 17. यह ध्यान दिया जाएगा कि पाँचवीं अनुसूची की मदें 1 से 19 सातवीं अनुसूची में उल्लिखित मदों के समान हैं। इन वस्तुओं के पाँचवीं अनुसूची में शामिल होने का एकमात्र कारण [2019] 6 एस. सी. आर. है।

मध्यस्थ द्वारा प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, जैसे कि जब तक प्रस्तावित मध्यस्थ पाँचवीं अनुसूची की मद 1 से 34 के संदर्भ में अपनी भागीदारी का लिखित रूप में खुलासा नहीं करता है, तब तक इस तरह के प्रकटीकरण की कमी होगी, जिस स्थिति में पक्षों को नुकसान होगा क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर केवल मध्यस्थ की व्यक्तिगत जानकारी के भीतर होती है। यही कारण है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आइटम 1 से 19 तक भी पाँचवीं अनुसूची में दिखाई देता है।

13. टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने एक प्रबंधक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के संदर्भ में सी. टी. की धारा 12 (5) का उल्लेख किया है।

निगम का टॉर, जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया

सातवीं अनुसूची। इस न्यायालय ने कहाः

" 50. सबसे पहले, हम खंड (घ) पर चर्चा करेंगे। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 12 (5) के आधार पर, यदि कोई व्यक्ति जो सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है और न ही हो सकता है, क्योंकि सातवीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा के लिए निगम का प्रबंध निदेशक कानून के संचालन से अयोग्य हो गया है। यह विद्वान वरिष्ठ का रुख है। अपीलार्थी के लिए वकील कि एक बार प्रबंध निदेशक

अयोग्य हो जाता है, वह भी नामित करने के लिए अयोग्य हो जाता है। उक्त स्थिति का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रचार किया जाता है कि अयोग्यता एक नामांकित व्यक्ति तक नहीं बढ़ सकती है यदि वह निगम से नहीं है और अधिक जब उचित और अपेक्षित प्रकटीकरण है। हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि वर्तमान मामले में हम न तो प्रकटीकरण से संबंधित हैं और न ही वस्तुनिष्ठता, न ही निष्पक्षता और न ही ऐसी किसी अन्य परिस्थिति से। हम अकेले इस मुद्दे से चिंतित हैं, चाहे प्रबंध निदेशक, द्वारा अयोग्य होने के बाद

कानून का संचालन, क्या वह अभी भी एक मध्यस्थ को नामित करने के लिए पात्र है। जिसमे पुनरावृत्ति की लागत, हम कह सकते हैं कि जब दो पक्ष होते हैं, तो एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है और दूसरा दूसरे को नियुक्त कर सकता है। यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति है। यदि कोई ऐसा खंड है जिसमें पक्षों को अपने संबंधित मध्यस्थ को नामित करने की आवश्यकता होती है, तो उनके नामित करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उस परिस्थिति में वास्तव में जो सवाल उठाया जा सकता है वह है प्रक्रियात्मक अनुपालन और प्रदान किए गए मानदंडों के आधार पर उनके मध्यस्थ की पात्रता।

अधिनियम और उससे जुड़ी अनुसूचियों के तहत। लेकिन, यहाँ एक मामला है जहाँ प्रबंध निदेशक "नामित एकमात्र मध्यस्थ" भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड v है।

और उसे एक ऐसे व्यक्ति को नामित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है जो उसके स्थान पर मध्यस्थ हो सकता है। इस प्रकार, सूक्ष्म है

भेद "।

XXX XXX XXX

" 54. ऐसे संदर्भ में, विवाद का आधार यह होगा कि क्या प्रबंध निदेशक की तरह एक अयोग्य मध्यस्थ एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है, जो अन्यथा योग्य और एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, हम न तो वस्तुनिष्ठता से संबंधित हैं और न ही व्यक्तिगत सम्मान से। हम केवल प्रबंध निदेशक के अधिकार या शक्ति से संबंधित हैं। हमारे विश्लेषण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि एक बार जब मध्यस्थ कानून के संचालन से अयोग्य हो जाता है, तो वह नहीं कर सकता है।

एक अन्य को मध्यस्थ के रूप में नामित करें। मध्यस्थ अधिनियम की धारा 12 (5) में निहित प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अयोग्य हो जाता है। कानून में यह अकल्पनीय है कि जो व्यक्ति वैधानिक रूप से अयोग्य है, वह ऐसा कर सकता है।

किसी व्यक्ति को नामित करें। कहने की जरूरत नहीं है कि एक बार बुनियादी ढांचा ढह जाने के बाद अधिसंरचना ढह जाएगी। कोई नहीं कर सकता।

प्लिंथ के बिना एक इमारत है। या इसे अलग तरह से रखने के लिए, एक बार एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान खो जाने के बाद, किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है।

इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार टिकाऊ नहीं है और हम ऐसा कहते हैं।

14. उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि धारा 12 (1), जिसे मध्यस्थता और सुलह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(संशोधन) अधिनियम, 2015 ["संशोधन अधिनियम, 2015"], यह स्पष्ट करता है कि जब किसी व्यक्ति से उसके संभावित संबंध में संपर्क किया जाता है

एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति, यह उसका कर्तव्य है कि वह लिखित रूप में ऐसी किसी भी परिस्थिति का खुलासा करे जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा होने की संभावना हो। प्रकटीकरण प्रपत्र में किया जाना है छठी अनुसूची में निर्दिष्ट, और पाँचवीं अनुसूची में बताए गए आधार यह निर्धारित करने में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो स्वतंत्रता के बारे में उचित संदेह को जन्म देती हैं या नहीं।

एक मध्यस्थ की निष्पक्षता। एक बार ऐसा करने के बाद, मध्यस्थ की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि धारा 12 की उप-धारा (4) द्वारा दर्ज की गई चेतावनी के अधीन धारा 12 की उप-धारा (3) के तहत न्यायोचित संदेह उत्पन्न हुए हैं। चुनौती प्रक्रिया को धारा 13 (2) में निर्धारित समय सीमा के साथ धारा 13 में निर्धारित किया गया है।

"लिखित में स्पष्ट समझौते" द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता। जाहिर है, "लिखित में स्पष्ट समझौते" में एक ऐसे व्यक्ति का संदर्भ है जिसे सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित किया गया है, लेकिन जिसे पक्षों द्वारा (उनके बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद) एक ऐसा व्यक्ति कहा गया है जिसमें उन्हें विश्वास है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा व्यक्ति सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित है। 16. विधि आयोग की रिपोर्ट, जिसका हमारे कुछ निर्णयों में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट करती है कि मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता के कुछ न्यूनतम स्तर हैं, चाहे पक्षकारों की सहमति कुछ भी हो। यह मामला होने के कारण, विधि आयोग ने तब पाया किः

" 59. आयोग ने इस आवश्यकता का प्रस्ताव दिया है कि मध्यस्थ द्वारा, उसकी संभावित नियुक्ति के स्तर पर, किसी भी संबंध या किसी भी प्रकार के हित के अस्तित्व के बारे में विशिष्ट प्रकटीकरण जो उचित संदेह को जन्म देने की संभावना है। द.

आयोग ने चौथी अनुसूची, हरत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड v को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में हितों के टकराव पर आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल और नारंगी सूचियों से तैयार की गई है, और जिसे यह निर्धारित करने के लिए एक "मार्गदर्शक" के रूप में माना जाएगा कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो इस तरह के न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं। दूसरी ओर, अधिनियम की प्रस्तावित धारा 12 (5) और पांचवीं अनुसूची के संदर्भ में जिसमें श्रेणियां शामिल हैं -

एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना इस तरह से नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद। यदि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, तो वह धारा 14 के प्रस्तावित स्पष्टीकरण के संदर्भ में अपने कार्यों को करने में असमर्थ समझा जाएगा। इसलिए, जबकि एक के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यक है श्रेणियों की व्यापक सूची (जैसा कि चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है, और आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल और नारंगी सूचियों के आधार पर), मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने की अयोग्यता (और इसके परिणामस्वरूप ऐसा करने में कानूनी रूप से असमर्थता) स्थितियों के एक छोटे और अधिक गंभीर उप-समूह (जैसा कि पांचवीं अनुसूची में निर्धारित किया गया है, और आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल सूची पर आधारित) से होती है।

60. आयोग, हालांकि, महसूस करता है कि वास्तविक और वास्तविक पार्टी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए, और कुछ स्थितियों में, पार्टियों को अयोग्यता की श्रेणियों को भी माफ करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रस्तावित पाँचवीं अनुसूची में निर्धारित। यह पारिवारिक मध्यस्थता या अन्य मध्यस्थता की स्थितियों में हो सकता है जहां एक व्यक्ति विवाद के लिए पक्षों के अंधे विश्वास और विश्वास का आदेश देता है, इसके बावजूद

उसके संबंध में वस्तुनिष्ठ "न्यायोचित संदेह" का अस्तित्व

उन्हें लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा प्रस्तावित धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ कर दें। अन्य सभी मामलों में, सामान्य नियम प्रस्तावित धारा 12 (5) का पालन किया जाना चाहिए। एक की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्थिति में

मध्यस्थ, आयोग ने धारा 12 (1) के संदर्भ में प्रकटीकरण की मांग करने का प्रस्ताव किया है, और किस संदर्भ में उच्च न्यायालय या नामित व्यक्ति को मध्यस्थ की नियुक्ति में इस तरह के प्रकटीकरण की सामग्री को "उचित सम्मान" देना है।

(मूल में जोर)

19] 6 एस सी आर।

इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान केवल कुछ असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जो ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो उत्पन्न होती हैं।

पारिवारिक मध्यस्थता या अन्य मध्यस्थताएँ जहाँ कोई व्यक्ति व्यक्तिपरक रूप से

विवाद के पक्षकारों के अंधे विश्वास और विश्वास का आदेश देता है, इसके बावजूद

उनकी स्वतंत्रता के संबंध में वस्तुनिष्ठ न्यायोचित संदेहों का अस्तित्व और

निष्पक्षता।

17. इसलिए, धारा 12,13 और 14 की योजना यह है कि जहां एक मध्यस्थ लिखित रूप में एक प्रकटीकरण करता है जो उचित होने की संभावना है।

उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में संदेह, ऐसी नियुक्ति मध्यस्थ को धारा 13 के साथ पठित धारा 12 (1) से 12 (4) के तहत चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, जहाँ ऐसा व्यक्ति "अयोग्य" हो जाता है

एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त, ऐसे लोगों को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है

ऐसे मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थ। ऐसे मामले में, यानी अधिनियम की धारा 12 (5), धारा 14 (1) (ए) के तहत आने वाला मामला इस हद तक आकर्षित हो जाता है कि मध्यस्थ धारा 12 (5) के तहत अपने कार्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है। ऐसा होने पर, उनका जनादेश अपने आप समाप्त हो जाता है,

और फिर उसे धारा 14 (1) के तहत ही किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह केवल तभी होता है जब इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या वह अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है, तो किसी पक्ष को जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। इस प्रकार, सभी धारा 12 (5) मामलों में, कोई चुनौती प्रक्रिया का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यदि कोई मध्यस्थ इस तरह से जारी रहता है, तो

अपने कार्यों को करने में असमर्थ होने पर, क्योंकि वह सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में आता है, एक पक्ष न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जो तब यह तय करेगा कि क्या उसका

जनादेश समाप्त हो गया है। ऐसे प्रश्न जो आम तौर पर निम्नानुसार उत्पन्न हो सकते हैं -

धारा 14 इस बारे में हो सकती है कि क्या ऐसा व्यक्ति इनमें से किसी के अंतर्गत आता है।

अधिनियम की धारा 12 (5) के प्रावधान के अनुसार छूट। ए के रूप में कानून के मामले में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 12 (5) के परंतुक को अधिनियम की धारा 4 के विपरीत होना चाहिए। धारा 4 आचरण द्वारा मानित छूट के मामलों से संबंधित है; जबकि धारा 12 (5) का परंतुक

पार्टियों के बीच लिखित रूप में स्पष्ट समझौते द्वारा छूट से संबंधित है

18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का प्रबंध निदेशक स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता था। सातवीं अनुसूची की मद 5 के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है, जो निम्नानुसार हैः

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड v. यूनाइटेड टेलीकोम्स लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" पक्ष या वकील के साथ मध्यस्थ का संबंध

XXX XXX XXX

5. मध्यस्थ एक प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधन का हिस्सा है, या पक्षकारों में से किसी एक के सहयोगी में समान नियंत्रण प्रभाव रखता है, यदि संबद्ध विवाद के मामलों में सीधे शामिल है।

मध्यस्थता में "

क्या ऐसा अयोग्य व्यक्ति स्वयं किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त कर सकता है, यह केवल टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से स्पष्ट किया गया था, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक अयोग्य व्यक्ति द्वारा की गई नियुक्ति स्वयं शुरुआत से ही अमान्य है। इस प्रकार, यह केवल 03.07.2017 पर ही स्पष्ट हो गया कि श्री खान की नियुक्ति

शुरुआत में शून्य होगा। चूँकि इस तरह की नियुक्ति "पात्रता" में जाती है,

यानी, मामले की जड़ तक, यह स्पष्ट है कि श्री खान की नियुक्ति अमान्य होगी। इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि कानून की पुस्तक में धारा 12 (5) को शामिल करने के बाद ही विवाद उत्पन्न हुए और श्री खान को बहुत बाद में नियुक्त किया गया था। टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह केवल संभावित रूप से लागू होगा, यानी श्री खान जैसे व्यक्तियों की जो नियुक्तियां की गई हैं, वे निर्णय की तारीख से पहले की गई हैं तो वैध होंगी। संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 यह स्पष्ट करती है कि संशोधन अधिनियम, 2015 23.10.2015 को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा। वास्तव में, निर्णय ने स्वयं मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया, जो एक दिनांकित आदेश था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के प्रबंध निदेशक ने दिनांकित खरीद आदेश के खंड 33 (डी) के संदर्भ में इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया था। यह ध्यान दिया जाएगा कि वर्तमान मामले में तथ्य हैं - कुछ हद तक समान। ए. पी. ओ. स्वयं वर्ष 2014 का है, जबकि प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्ति संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद की जाती है, जैसा कि टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) के मामले में होता है। यह देखते हुए कि इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की टी. आर. एफ. लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में नियुक्ति को गैर-कानूनी होने के रूप में दरकिनार कर दिया गया था, वर्तमान मामले में श्री खान की नियुक्ति का अनुसरण करना चाहिए।

19. तथापि, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि धारा 12 (4) न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के आवेदन पर रोक लगाएगी। धारा 12 (4) केवल तभी लागू होगी जब एक मध्यस्थ को, अन्य बातों के साथ-साथ, उसी पक्ष द्वारा चुनौती दी जाती है जिसने ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह तब चुनौती प्रक्रिया को संदर्भित करता है

अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित है। धारा 12 (4) एक [2019] 6 एस. सी. आर. पर लागू नहीं होती है।

धारा 14 (2) के तहत अदालत में यह निर्धारित करने के लिए आवेदन किया गया है कि क्या मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो गया है क्योंकि वह कानून में अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है क्योंकि वह अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।

20. यह तब हमें इस मामले के तथ्यों पर धारा 12 (5) के परंतुक की प्रयोज्यता पर लाता है। अधिनियम की धारा 4 के विपरीत, जो आचरण द्वारा आपत्ति करने के अधिकार की मानित छूट से संबंधित है, धारा 12 (5) का परंतुक केवल तभी लागू होगा जब पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के बाद, पक्षकार लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता को माफ कर देंगे। इस कारण से, अधिनियम की धारा 7 के सादृश्य पर आधारित तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए। धारा 7 मध्यस्थता समझौतों से संबंधित है जो लिखित रूप में होने चाहिए, और फिर बताती है कि ऐसे समझौते दस्तावेजों में निहित हो सकते हैं जो ऐसे समझौतों का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, धारा 12 (5) "लिखित में स्पष्ट समझौते" को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति "लिखित रूप में समझौता व्यक्त करें" एक समझौते के विपरीत शब्दों में किए गए समझौते को संदर्भित करता है जिसका अनुमान आचरण द्वारा लगाया जाना है। यहाँ, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 9 महत्वपूर्ण हो जाती है। यह.

कहते हैं:

" 9. वादे, व्यक्त और निहित। जहाँ तक किसी वादे का प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में की जाती है, वचन को अभिव्यक्त कहा जाता है। जहाँ तक इस तरह के प्रस्ताव या स्वीकृति को शब्दों के अलावा अन्य रूप में किया जाता है, वादा निहित कहा जाता है।

इस तरह के स्पष्ट समझौते का खुलासा न करें। नियुक्ति पत्र जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों पर एक स्पष्ट समझौते का संकेत देने के रूप में भरोसा किया जाता है, दिनांकित 17.01.2017 है। इस तारीख को, अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक को निश्चित रूप से पता नहीं था कि श्री खान नहीं हो सकते हैं। उनके द्वारा सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) के रूप में नियुक्त किया गया, केवल एक मध्यस्थ के रूप में स्वयं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की अयोग्यता पर चला गया। श्री खान की अवैध नियुक्ति केवल टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा के बाद स्पष्ट हुई, जो, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, केवल 03.07.2017 पर थी। इस तिथि के बाद, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में पक्षों के बीच एक स्पष्ट समझौता नहीं होगा।

श्री खान की नियुक्ति की वैधता के लिए, अपीलार्थी ने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष 07.10.2017 पर एक आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थ का ध्यान टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय की ओर आकर्षित किया गया और उसे यह घोषित करने के लिए कहा गया कि वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है। समान रूप से, यह तथ्य कि मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर किया गया हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि शब्दों में एक स्पष्ट समझौता है जो यह स्पष्ट कर देगा कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि श्री खान इस पद पर बने रहें।

इस तरह से कार्य करने के लिए अयोग्य होने के बावजूद मध्यस्थ। यह मामला होने के कारण, आक्षेपित निर्णय सही नहीं है जब यह धारा 4, धारा 7,

वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए अधिनियम की धारा 12 (4), धारा 13 (2) और धारा 16 (2) में कहा गया है कि अपीलार्थी को मध्यस्थ की पात्रता का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह स्वयं मध्यस्थ नियुक्त करता है। अपील के तहत निर्णय यह कहने में भी गलत है कि इस तथ्य से लिखित रूप में एक स्पष्ट छूट है कि अपीलार्थी द्वारा एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, और प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर किया गया है। जिस क्षण अपीलार्थी को पता चला कि श्री खान की नियुक्ति ही अमान्य होगी, उसने अपने आदेश को समाप्त करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

21. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन पर भरोसा किया है।

वी. सासन पावर लिमिटेड, (2017) 1 एस. सी. सी. 487, और इसके पैराग्राफ 21 का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैः

" 21. उपरोक्त निर्णयों के संबंध में, यह स्पष्ट है कि जब अनुबंध के क्षेत्र में छूट की बात की जाती है, तो अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 63 शासित होती है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छूट एक ज्ञात अधिकार का जानबूझकर त्याग है, और इसलिए, जब तक कि किसी पक्ष को पूरी तरह से ज्ञात अधिकार को छोड़ने का स्पष्ट इरादा नहीं है, तब तक किसी पक्ष को इसे माफ करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह भी स्पष्ट है कि यदि लोक हित का कोई तत्व शामिल है और किसी समझौते के पक्षकारों में से किसी एक द्वारा छूट दी जाती है, तो ऐसी छूट को प्रभावी नहीं बनाया जाएगा यदि यह ऐसे लोक हित के विपरीत है। यह निम्नलिखित अधिकारियों के पढ़ने से स्पष्ट है।

यह निर्णय संभवतः लागू नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 12 (5) के परंतुक की स्पष्ट भाषा द्वारा शासित है।

इसी तरह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होना, अर्थात्, वासु पी. शेट्टी बनाम।

वंदना पैलेस, (2014) 5 एस. सी. सी. 660 और बी. एस. एन. एल. बनाम। मोटोरोला इंडिया (पी) लिमिटेड, (2009) 2 एस. सी. सी. 337 ["बी. एस. एन. एल".], इसी कारण से, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके लिए परंतुक की स्पष्ट भाषा में कोई अनुप्रयोग है।

धारा 12 (5)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बी. एस. एन. एल. (उपरोक्त) अधिनियम की धारा 4 से संबंधित है, जिसका कोई अनुप्रयोग नहीं है,

और धारा 12 (5) के परंतुक की भाषा के साथ विपरीत होना चाहिए।

22. इस प्रकार हम अपील की अनुमति देते हैं और विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं।

23. 25.01.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से, हमने विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया था और साथ ही अंतरिम राहत पर नोटिस जारी किया था। अपीलार्थी। चूंकि रोक का कोई आदेश नहीं था, इसलिए मध्यस्थता की कार्यवाही विवादित फैसले की तारीख के बाद भी जारी रही, यानी 22.11.2017, और दो पुरस्कारों दिनांक 11.07.2018 और 12.07.2018 में समाप्त हुई। हम.

सूचित किया गया है कि उपरोक्त पुरस्कारों को अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदनों द्वारा चुनौती दी गई है, जिसमें कुछ

दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। इन पुरस्कारों को इस याचिका के परिणाम के अधीन होने के कारण अलग कर दिया जाता है। नतीजतन, अपीलार्थी की धारा 34 की कार्यवाही को निष्फल बना दिया गया है। यह अपीलार्थी के लिए संपर्क करने के लिए खुला रहेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर धारा 34 याचिका में पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में की गई जमा राशि को पुनः प्राप्त करने के लिए। देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।